मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन नीति 2012
(संशोधित)

1. दृष्टि वक्तव्य (Vision Statment)

''संतुलित एवं सम्पोषणीय पर्यटन की ऐसी अभिवृद्धि जिससे सामाजिक एवं आर्थिक विकास हो तथा मध्यप्रदेश समग्र पर्यटन अनुभव प्रदान करने वाला गन्तव्य बन सकें।''

(To promote such balanced and sustainable tourism which enables socio economic development and establishes Madhya Pradesh as a destination that provides a complete tourism experience.)

2. नीति के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यवाही बिन्दु (Points of Action) निम्न सिद्धांतों (Principles) पर आधारित हैं:–
   - 2.1 ऐसी संस्थागत व्यवस्था स्थापित करना, जिससे शासन द्वारा निर्धारित दिशा में निजी निवेश प्रोत्साहित हो।
   - 2.2 सम्पोषणीय पर्यटन (Sustainable tourism) के लिए प्रभावी नियामक प्रक्रिया की स्थापना हो।
   - 2.3 पर्यटक स्वागत, सूचना, सुविधा, सुरक्षा, संरचना तथा सफाई के सभी उपाय हों।
   - 2.4 धरोहरों का पहले संरक्षण एवं बाद में पर्यटक उपयोग हों।
   - 2.5 ईको पर्यटन (Eco Tourism) आम जन में पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवदेनशीलता उत्पन्न करने का कारक हो।
   - 2.6 शासकीय विभागों, स्वयं सेवी संस्थाओं, समुदाय, पर्यटन उद्योग के हितधारी पक्षों में समन्वित सक्रिय भागीदारी स्थापित हो।
   - 2.7 पर्यटक क्षेत्र में पब्लिक प्रायवेट पार्टनशीप पर आधारित पर्यटक परियोजनाओं का विकास हो।

3. **उपरोक्त सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए तथा पर्यटन दृष्टि वक्तव्य के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रणनीति (Strategy) निम्नानुसार होगी–**

   - 3.1 निजी निवेश को आकर्षिक करने के लिए स्पष्ट पारदर्शी तथा मानक प्रक्रियाओं को स्थापित किया जायेगा।
   - 3.2 गन्तव्य के विपणन के लिए आवश्यक अनुसंधान तथा डाटा–बेस तैयार किया जायेगा।
   - 3.3 पर्यटन के क्षेत्र में प्रमाणित सांख्यिकीय डाटा बेस तैयार करने तथा पर्यटकों के अनुभवों से फीडबैक प्राप्त कर व्यवस्था में सुधार करने की दृष्टि से युक्तियुक्त प्रणाली विकसित की जाएगी।

3.4 अधोसंरचना यथा सड़क, पेयजल, उर्जा, स्वच्छता, परिवहन, ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन का निरंतर संधारण तथा उन्नयन किया जायेगा।

3.5 विशेष पर्यटन क्षेत्र (Special Tourism Zone) स्थापित कर उनके विकास में समग्र पर्यटक आवश्यकताओं का समावेश किया जायेगा।

3.6 स्थानीय निकायों को पर्यटक आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाकर उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी।

3.7 मेले, स्थानीय व्यंजन, संस्कृति, वेशभूषा, उत्पाद, कला, हस्तकला तथा विरासत के विपणन के लिए ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहित किया जायेगा।

3.8 ईको पर्यटन के गन्तव्यों के प्राकृतिक संसाधनों एवं सौन्दर्य की सुरक्षा, संरक्षण का सर्वोपरि ध्यान रखा जायेगा।

3.9 आध्यात्मिक पर्यटन के लिए चिन्हित स्थानों के विकास की समग्र योजना बनाई जायेगी।

3.10 वृहद् जलाशयों पर पर्यटकीय सुविधाओं का योजनाबद्ध विकास किया जायेगा।

3.11 प्रदेश के विभिन्न शहरों को वायु सेवा से जोड़ने के समस्त स्थानीय उपाय किये जायेंगे।

3.12 स्थानीय प्रशासन एवं सहयोग तथा प्रक्रियाओं के सरलीकरण से साहसिक पर्यटन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं स्थापित की जायेगी।

3.13 पर्यटन उद्योग के सभी क्षेत्रों में नियोजित मानव संसाधन का ऐसा प्रशिक्षण किया जाएगा, जिससे प्रदेश की पर्यटन अनुकूल (Tourism Friendly) छबि बन सके।

3.14 पर्यटन उद्योग की आवश्यकता के अनुरूप युवाओं को गुणात्मक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे उन्हें रोजगार के अवसर मिले।

3.15 पर्यटन परियोजनायें आकर्षित करने के लिए लैण्ड बैंक (Land Bank) नीति को सुदृढ़ किया जायेगा।

3.16 पर्यटक स्थलों पर मनोरंजन की व्यवस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए उपाय किये जायेंगे।

3.17 धार्मिक स्थलों पर पर्यटकों के निवास के लिए बजट होटलों की श्रृंखला का निर्माण किया जायेगा।

3.18 मेडिकल टूरिज्म़ को प्रोत्साहित करने के लिए संबंधित विभागों का आवश्यक समन्वय पर्यटन विभाग द्वारा किया जाएगा।

3.19 शासन के संगत विभागों की कार्य योजना में ''पर्यटन योजना'' का समावेश किया जायेगा।

3.20 हेरिटेज होटल को बढ़ावा देने के लिए अन्य अनुदान/रियायते दी जावे।

3.21 **MICE (Meeting, Incentive, Conferencing, Exhibitions) Tourism** को बढ़ावा देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन सेन्टरों का निर्माण।

3.22 पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया जाना।

3.23 कुछ चुनिन्दा पर्यटन स्थलों पर होटल/रिसॉर्ट के निर्माण पर अनुदान/रियायतों का प्रावधान रखा जावेगा।

3.24 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर निरंतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जावेगी।

3.25 प्रमुख पर्यटन योजनाओं को फास्ट ट्रेक क्लियरेंस के माध्यम से विभिन्न अनुमतियां निजी निवेशकों को प्रदान की जावेगी।

4. मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम :–

प्रदेश में पर्यटन नीति को क्रियान्वित करने के लिए मैदानी स्तर पर मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। निगम की भूमिका निम्नानुसार होगी–

4.1 निगम पूर्ववत पर्यटक सेवाओं को प्रदान करने का कार्य करता रहेगा।

4.2 अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को समेकित करेगा तथा निजी निवेश को आकर्षित करने की भूमिका निभायेगा।

4.3 अपनी ऐसी विभिन्न इकाईयों को जो संतोषजनक लाभ का केन्द्र नहीं बनी है, उन्हें प्रबंधकीय अनुबंध अथवा दीर्घ अवधि की लीज़ पर निजी क्षेत्र को दे सकेगा।

4.4 मात्र अपनी इकाईयों के विपणन पर ध्यान केन्द्रित करने के स्थान पर प्रदेश के पर्यटन उद्योग तथा उनके आकर्षण के विपणन के उत्तरदायित्व का निर्वहन भी करेगा।

4.5 पर्यटन उद्योग के सभी हितधारी पक्षों के साथ निरंतर संपर्क एवं समन्वय रखकर उनकी समस्याओं के समाधान की पहल करेगा।

4.6 ऐसे नये क्षेत्रों में निवेश करेगा जहां पर्यटन की संभावनायें हैं परन्तु अधोसंरचना का विकास नहीं हुआ है ताकि उस क्षेत्र में निजी निवेश का मार्ग प्रशस्त हो सके।

4.7 निगम अपनी इकाईयों का स्वामित्व समाप्त नहीं करेगा बल्कि आवश्यकतानुसार उनमें विस्तार कर सकेगा।

4.8 बड़े नगरों अथवा पूर्व से विकसित पर्यटक स्थलों में नई इकाईयों की स्थापना तथा विस्तार से होने वाले लाभ को वह नये क्षेत्रों के विकास में निवेशित करेगा।

4.9 निगम का उद्देश्य केवल स्वतः के पोषण तक सीमित नहीं रहेगा।

4.10 नई पर्यटन परियोजनाओं में आरंभ से ही निजी निवेश की भागीदारी की व्यवस्था निर्मित करेगा।

4.11 मध्यप्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटालिटी ट्रेनिंग को अपने संसाधनों से भी सुदृढ़ करेगा।

4.12 भारत शासन तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से पर्यटन परियोजनाओं के लिए अनुदान तथा ऋण लेने की समस्त कार्यवाही करेगा।

4.13 पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप के प्रभावी क्रियान्वयन के लिय सशक्त प्रकोष्ठ का गठन करेगा।

5. <u>विशेष प्रावधान</u>

पर्यटन परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से निम्न सुविधायें देय होंगी।

अ. विलासिता कर में रियायत

अ.1 **विलासिता कर की दरें–** किसी भी होटल में उपलब्ध कराई गई रू. 2000/– तक की विलास वस्तु पर विलासिता कर देय नहीं होगा। रू. 2001/– तथा उससे अधिक के प्रतिदिन के प्रभार पर विलासिता कर की दर 10 प्रतिशत होगी।

अ.2 **ऑफ सीजन में विलासिता कर से छूट–** वर्ष में 03 माह का ऑफ सीजन होगा, जिसका निर्धारण पर्यटन विभाग के परामर्श अनुसार वाणिज्यिक कर देय नहीं होगा। भोपाल, जबलपुर, इन्दौर तथा ग्वालियर नगर निगम क्षेत्रों में कोई ऑफ सीज़न छूट नहीं होगी।

अ.3 **नये होटलों में विलासिता कर में छूट–** इस नीति के लागू होने के पश्चात प्रारम्भ होने वाले नये होटलों को विलासिता कर से 8 वर्ष तक छूट होगी। भोपाल तथा इन्दौर नगरीय क्षेत्रों में यह छूट 5 वर्ष के लिए होगी। इस छूट को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम रू. 1.00 करोड़ का पूंजी निवेश आवश्यक होगा, परन्तु कमरों की संख्या का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। पूर्व में संचालित किसी होटल में अगर रू. 50.00 लाख से अधिक का पूंजी निवेश कर विस्तार किया जाता है तो इकाई के विस्तारित अंश को भी उपरोक्त लोकेशन अनुसार 5 अथवा 8 वर्षो के लिए विलासिता कर में छूट होगी। (यह स्पष्ट किया जाता है कि नये कमरों के निर्माण को ही विस्तार माना जायेगा। पुराने कमरों के उन्नयन के आधार पर कोई छूट देय नहीं होगी।) पूंजी निवेश की गणना में भूमि की कीमत कुल निवेश के 20 प्रतिशत तक सीमित होगी।

अ.4 **बेड एण्ड ब्रेकफास्ट योजना में छूट–** बेड एण्ड ब्रेकफास्ट योजना के अन्तर्गत स्थापित 5 कमरे तक की इकाईयों को विलासिता कर से मुक्त रखा जाएगा। इसके लिए उन पर पूंजी निवेश का कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

ब. हेरिटेज होटल की निम्न परिभाषा को मान्य किया जाएगा।

Definition and features of Heritage Hotel"

All those buildings, fort, havelis, Kothis and Castles that have been:-

(i) Constructed before 1950.

(ii) The architectural features of the building should be maintained in harmony with the original architectural design.

(iii) Immediate surroundings of the Heritage Hotel should be in consonance with the architectural features of the original building.

(iv) Front elevation, architectural style and general construction practice should exemplify local cultural traditions and features.

(v) Cuisine and catering services of the Heritage Hotel should be clean, hygienic and of good standards, and it should give the flavour and taste of local traditions, services, facilities and immediate surroundings of high quality and standards.

Shall qualify for being considered as a heritage hotel.

Any extension, improvement, renovation, change in the existing structures should be in keeping with the traditional architectural styles and constructional techniques harmonising the new with the old. After expansion/renovation, the newly built-up area added should not exceed 50% of the total built-up (plinth) area including the old and new structures. For this purpose, facilities such as swimming pools, lawns, etc. will be excluded".

ब.1 **नये हेरिटेज होटलों के निर्माण में विलासिता कर से छूट–**

दिनांक 01.04.2006 के बाद प्रदेश में निर्मित नए हेरिटेज होटलों को विलासिता कर में 10 वर्ष के लिए छूट की पात्रता होगी। ऐसे होटलों पर कमरों की संख्या संबंधी कोई प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इसके निर्माण में न्यूनतम रू. 1.00 करोड़ का पूंजी निवेश अनिवार्य होगा। ऐसी छूट का लाभ आवेदन स्वीकृत करने के दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा। पूंजी निवेश का आंकलन आवेदन दिनांक पर किया जाएगा। ऐसे पुराने गढ़ी, किले, महल, भवन आदि, जो कि हेरिटेज की श्रेणी में है तथा उनमें पूर्व से एक हिस्से में हेरिटेज होटल स्थापित था, के विस्तार में अगर नये कमरे जोड़े जाते है तो नये विस्तार को भी उपरोक्तानुसार 10 वर्ष की छूट की पात्रता होगी। यह छूट देते समय भी कमरों की संख्या का प्रतिबंध नहीं होगा। परन्तु विस्तार कार्य में पूंजी निवेश, आवेदन दिनांक को न्यूनतम रू. 50.00 लाख का होना चाहिए। पूंजी निवेश की गणना में भूमि की कीमत कुछ निवेश के 20 प्रतिशत तक सीमित होगी।

ब.2 **हेरिटेज होटल हेतु अनुदान –**

निजी स्वामित्व वाले भवनों को यदि भवन स्वामी अथवा अन्य निवेशक द्वारा हेरिटेज होटल में परिवर्तित कर संचालित किया जाता है तो उसके द्वारा किये गए पूंजीगत व्यय का 25 प्रतिशत अनुदान (Subsidy) दिया जावे, जिसमें भूमि का मूल्य सम्मिलित नहीं है।

पूंजीगत व्यय का 25 प्रतिशत अनुदान अथवा रू. 1.50 करोड़ जो भी न्यूनतम हो, देय होगा, अर्थात पूंजीगत व्यय पर अनुदान की अधिकतम सीमा रू. 1.50 करोड़ होगी।

अनुदान का भुगतान तभी किया जायेगा जब निवेशक द्वारा होटल के निर्माण के पश्चात हेरिटेज होटल के रूप में संचालन का एक वर्ष पूर्ण कर लिया हो तथा होटल को HRACC (Hotel and Restaurants Approval and Classification Committee) द्वारा हेरिटेज होटल के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया हो। पूंजीगत व्यय का आंकलन राज्य पुरातत्व विभाग तथा पर्यटन निगम के अधिकारियों की एक समिति द्वारा किया जायेगा। समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित व्यय को ही अंतिम रूप से पूंजीगत व्यय मान्य किया जावेगा।

हेरिटेज सम्पत्ति के स्वामियों को पर्यटन विभाग द्वारा हेरिटेज पर्यटन के संबंध में तकनीकी मार्गदर्शन निःशुल्क उपलब्ध कराया जावेगा।

स. **बजट होटल का निर्माण –**

प्रदेश के प्रमुख धार्मिक पर्यटन गन्तव्य स्थल में बजट होटल का निर्माण करने पर निवेशक को निम्नानुसार अनुदान दिया जावे।

स.1 **विभाग के लैण्ड बैक पर निर्माण की स्थिति में–** पूंजीगत व्यय पर 10 प्रतिशत का अनुदान अथवा रू. 50.00 लाख जो भी न्यूनतम हो अर्थात व्यय पर अधिकतम सीमा रू. 50.00 लाख होगी। विभागीय भूमि के अप–सेट मूल्य पर 50 प्रतिशत अनुदान देय होगा।

स.2 निवेशक द्वारा स्वयं की भूमि पर होटल निर्माण की स्थिति में पूंजीगत व्यय पर 20 प्रतिशत का अनुदान अथवा रू. 50.00 लाख जो भी न्यूनतम हो, देय होगा, अर्थात पूंजीगत व्यय पर अधिकतम सीमा रू. 50.00 लाख होगी। ऐसे मामलों में भूमि के मूल्य पर कोई अनुदान नहीं दिया जावेगा।

स.3 बजट होटल के निर्माण में अनुदान/छूट की पात्रता तभी मान्य होगी जबकि होटल में कम–से–कम 50 अथवा उससे ऊपर कक्षों का निर्माण किया गया हो तथा कक्षों का किराया रू. 1000/– प्रति कक्ष से अधिक न हो।

स.4 डॉरमेट्री के निर्माण में अनुदान/छूट की पात्रता तभी मान्य होगी जबकि डॉरमेट्री में कम–से–कम 100 बिस्तर उपलब्ध हों तथा प्रति बिस्तर किराया रू. 100/– से अधिक न हो।

स.5 होटल कक्ष/डॉरमेट्री के उपरोक्त किराये में संचालन प्रारंभ होने की तिथि से 5 वर्ष तक कोई वृद्धि नहीं की जा सकेगी।

स.6 राज्य शासन समय–समय पर प्रमुख धार्मिक पर्यटन गन्तव्य स्थलों को अधिसूचित कर सकेगी।

द. **होटल/ रिसॉर्ट का निर्माण –**

प्रदेश के कुछ चुनिन्दा पर्यटन स्थल में समुचित आवास व्यवस्था आवश्यकता के अनुरूप नहीं है, ऐसे स्थलों को चिन्हित कर पर्यटन विभाग द्वारा निवेशकों को होटल/रिसॉर्ट निर्माण करने हेतु आमन्त्रित किए जाने की स्थिति में निवेशकों को पूँजीगत व्यय पर निम्नानुसार अनुदान दिया जावे।

द.1 रूपए 03.00 करोड़ के व्यय पर 25 प्रतिशत, अधिकतम रू. 75.00 लाख।

द.2 रूपए 03.00 करोड़ से 05.00 करोड़ तक 20 प्रतिशत, न्यूनतम रू. 75.00 लाख से अधिकतम रू. 1.00 करोड़।

द.3 रूपए 05.00 करोड़ से अधिक व्यय पर 15 प्रतिशत, न्यूनतम रू. 1.00 करोड़ से अधिकतम रू 1.50 करोड़।

द.4 राज्य शासन समय–समय पर इस प्रयोजन के लिए पर्यटन स्थलों को अधिसूचित किया जा सकेगा।

इ. MICE (Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions) TOURISM–

इ.1 इस हेतु भोपाल, इन्दौर में प्राथमिकता आधार पर बड़े अर्थात 1000 से अधिक क्षमता वाले एवं जबलपुर, ग्वालियर में मध्यम स्तर के अर्थात 500 से अधिक क्षमता के कन्वेंशन सेंटर बनाए जाये। 500 अथवा उससे अधिक क्षमता वाले अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन सेन्टर का निर्माण करने पर निवेशक को पूंजीगत व्यय (जिसमें भूमि का मूल्य सम्मिलित नहीं है) का 25 प्रतिशत अनुदान अथवा रू. 10.00 करोड़ जो भी न्यूनतम हो, देय होगा, अर्थात पूजीगत व्यय पर अनुदान की अधिकतम सीमा रूपए 10.00 करोड़ होगी।

इ.2 पर्यटन विभाग के लैण्ड बैंक की भूमि पर उक्त कन्वेंशन सेन्टर बनाये जाने पर ही छूट प्राप्त होगी।

उ. वीक एण्ड टूरिज्म को बढ़ावा देना–

देश के अन्य राज्यों से काफी अधिक संख्या में पर्यटकों के आगमन को दृष्टिगत रखते हुये 'वीक एण्ड टूरिज्म' को बढ़ावा देने के लिए पर्यटकों के अपेक्षानुरूप पर्यटक सुविधाओं का उन्नयन एवं वृद्धि की जाकर विशेष पैकेज टूर्स चलाये जायें। इस संबंध में केरेवान वाहनों को रोड टैक्स से संचालन दिनांक से 5 वर्षो तक मुक्त किये जावें।

ए. फास्ट ट्रेक क्लियरेंस–

पर्यटन परियोजनाओं पर वांछित अनुमतियां शीघ्र प्राप्त हो सकें इस हेतु रू. 10.00 करोड़ अथवा उससे अधिक की परियोजनाओं पर वांछित क्लियरेंसेस दिये जाने हेतु एकल खिड़की प्रणाली के अन्तर्गत ट्राईफेक के माध्यम से मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में गठित शीर्ष स्तरीय (अपेक्स) निवेश संवर्धन साधिकार समिति द्वारा क्लियरेंसेस दिये जायेगा।

6. आबकारी से संबंधित बिन्दुः–

6.1 मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम की इकाईयों के FL-2/FL-3/ क्लब लायसेंस में न्यूनतम गारन्टी का निर्धारण नहीं किया जाएगा।

6.2 मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम की इकाईयॉ को वर्ष 2011–12 से मदिरा विदेशी भण्डार गृहों से प्रदाय की जाएगी।

6.3 मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम की इकाईयों को FL-2 एवं क्लब लायसेंस की प्रचलित फीस में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। वर्ष 2010–11 में निर्धारित FL-3 लायसेंस फीस आगामी वर्षों में भी यथावत रहेगी। वाणिज्यिक कर विभाग निर्धारित फीस को पर्यटन विभाग की सहमति के बिना वृद्धि करने की कार्यवाही नहीं करेगा।

6.4 आबकारी नीति के अन्तर्गत पर्यटन निगम को बार लायसेंस फीस में दी गई रियायतें उन निवेशकों पर भी लागू किया जावे, जो निगम की इकाईयों को संचालन हेतु प्रबन्धकीय अनुबंध पर ले।

7. मनोरंजन कर

7.1 नई पर्यटक परियोजनाओं में मनोरंजन के स्थाई साधनों पर मनोरंजन कर की वर्ष तक तथा अस्थाई स्वरूप से कार्यक्रमों पर 6 वर्ष की अवधि तक छूट दी जायेगी।

7.2 वाणिज्यिक कर विभाग पर्यटन विभाग के परामर्श अनुसार ऐसे पर्यटन क्षेत्रों को चिन्हित करेगा जहां मनोरंजन के सभी स्थायी अथवा अस्थायी साधनों पर मनोरंजन शुल्क पर 10 वर्ष तक छूट रहेगी। उपरोक्त 06 वर्ष की छूट की अवधि को भी ऐसे क्षेत्रों में स्थित पर्यटन परियोजनाओं में 10 वर्ष मान्य किया जाएगा।

8. पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क

8.1 नई हेरिटेज पर्यटक परियोजनाओं की स्थापना के लिये प्रश्नाधीन हेरिटेज भवन के निर्मित क्षेत्रफल तथा उससे लगी अधिकतम एक हेक्टेयर भूमि के मूल्य पर पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क पर शत–प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। यदि भवन के साथ एक हेक्टेयर से अधिक भूमि हो तो उस अतिरिक्त भू–भाग पर नियमानुसार पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क देय होगा। पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क की छूट की राशि होटल प्रारंभ होने के बाद पर्यटन विभाग द्वारा होटल स्वामी को प्रतिपूर्ति के रूप में दी जावेगी।

8.2 पर्यटन विभाग द्वारा जो शासकीय भूमियां पर्यटन परियोजनाओं के लिए लीज़/विकास अनुबंध पर दी जाए उन पर पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क देय नहीं होगा।

9. परिवहन

परिवहन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–22–45–2005–आठ दिनांक 22/11/2005 के अनुसार विनिर्दिष्ट पर्यटन मार्ग पर पर्यटन ऑपरेटरों के यानों को मोटरयान कर से दो वर्ष के लिए छूट दी जाती है। इसमें निम्न पर्यटन मार्ग और जोड़े जाएगें–

भोपाल –

1. भोपाल दर्शन
2. भोपाल–इस्लाम नगर–सॉची–उदयगिरी–ग्यारसपुर–भोपाल
3. भोपाल–भोजपुर–भीमबैठिका–पचमढ़ी–भोपाल
4. भोपाल–उज्जैन–इन्दौर–ओंकारेश्वर–महेश्वर–माण्डू–भोपाल
5. भोपाल–खजुराहो–सतना–भोपाल (वाया सागर)
6. भोपाल–पचमढ़ी–भेड़ाघाट–जबलपुर–कान्हा–बांधवगढ़–भोपाल
7. भोपाल–भेड़ाघाट–जबलपुर–भोपाल
8. भोपाल–चंदेरी–शिवपुरी–ग्वालियर–भोपाल
9. उज्जैन दर्शन
10. पचमढ़ी दर्शन

ग्वालियर

1. ग्वालियर दर्शन–तिगरा–फोर्ट–संग्रहालय
2. ग्वालियर–शिवपुरी–चंदेरी–ओरछा–खजुराहो–पन्ना–चित्रकूट–सतना–बांधवगढ़–अमरकण्टक–जबलपुर–ग्वालियर
3. ग्वालियर–मुरैना–चंबल घडियाल सेंचुरी– ग्वालियर
4. ग्वालियर–शिवपुरी–उज्जैन–इन्दौर–माण्डू–ओंकारेश्वर–महेश्वर–इन्दौर–उज्जैन– ग्वालियर

जबलपुर

1. जबलपुर–भेड़ाघाट–जबलपुर
2. जबलपुर–भेड़ाघाट–किसली–अमरकण्टक–बांधवगढ़–जबलपुर
3. जबलपुर–सिवनी–छिंदवाड़ा–पचमढ़ी–जबलपुर
4. जबलपुर–सिवनी–पेंच–जबलपुर
5. जबलपुर–कान्हा–किसली–मुक्की–बालाघाट–सिवनी–पेंच–जबलपुर

सतना

1. सतना–चित्रकूट–पन्ना–खजुराहो–धुबेला–ओरछा–ग्वालियर
2. सतना–चित्रकूट–बांधवगढ़–अमरकण्टक–कान्हा–पचमढ़ी–जबलपुर
3. खजुराहो दर्शन

इन्दौर

1. इन्दौर दर्शन
2. इन्दौर–माण्डू–इन्दौर
3. इन्दौर–ओंकारेश्वर–बुरहानपुर–इन्दौर
4. इन्दौर–ओंकारेश्वर–महेश्वर–इन्दौर
5. इन्दौर–धार–बाघ केव–बावनगजा–खलघाट–महेश्वर–इन्दौर

इस सुविधा के अंतर्गत निम्न मार्ग भी जोड़े जाएंगे :–

1. पेंच–भेड़ाघाट–जबलपुर–मैहर–चित्रकूट
2. इन्दौर–उज्जैन–बड़नगर–रतलाम–मंदसौर–नीमच

10. भूमि आवंटन

10.1 पर्यटन विभाग के ज्ञापन 320/2008/33 दिनांक 23/2/2008 द्वारा शासकीय भूमि (भूमि में उस पर स्थित भवन तथा अन्य संपत्तियां शामिल हैं) का नीलामी द्वारा निवर्तन करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इस नीति में भूमि स्वामी अधिकारों हेतु विक्रय विलेख के प्रारूप–5 को विलोपित किया जाएगा।

10.2 चिन्हित शासकीय भूमियां जो पर्यटन विभाग को हस्तांतरित हों/की जायेगी, उन्हें 90 वर्ष की लीज़ पर देने अथवा विकास अनुबंध के माध्यम से विकसित करने के संबंध में निर्णय पर्यटन विभाग द्वारा लिया जायेगा।

11. व्यपवर्तन टैक्स

पर्यटन परियोजनाओं को विकसित करने से भूमि व्यपवर्तित मानी जाती है, जिस पर डायवर्सन शुल्क देय होता है। नई पर्यटन परियोजनाओं के प्रकरण में अथवा पुरानी

स्थापित परियोजनाओं के द्वारा नई भूमि अर्जित कर परियोजना का विस्तार करने पर–

11.1 ऐसी परिवर्तित भूमि पर डायवर्सन प्रीमियम के अधिरोपण की दर मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–59 के अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार आवासीय प्रयोजन के लिए निर्धारित दर की 20 प्रतिशत होगी।

11.2 देय वार्षिक डायवर्सन शुल्क संहिता के अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार आवासीय प्रयोजन की दर के 20 प्रतिशत होगा।

11.3 उक्त लाभ डायवर्सन दिनांक से परियोजना संचालन की अवधि के लिए होगा।

11.4 संबंधित पर्यटक परियोजना को डायवर्सन प्रीमियम एवं वार्षिक शुल्क में छूट प्रदान करने के लिए निम्नानुसार समिति गठित की जाएगी–

1. प्रमुख सचिव, पर्यटन
2. प्रमुख सचिव, राजस्व अथवा उनके प्रतिनिधि
3. प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास अथवा उनके प्रतिनिधि
4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम समिति के सदस्य सचिव होंगे।

11.5 हेरिटेज होटल के निर्माण में उससे जुड़ी हुई भूमि का व्यपवर्तन होने पर ऐसे व्यपवर्तन पर भी उपरोक्तानुसार प्रीमियम तथा शुल्क देय होगा।

12. ईको तथा साहसिक पर्यटन

ईको टूरिज्म डेवल्पमेन्ट बोर्ड वन भूमियों (ऐसी भूमियों जो किसी अभ्यारण राष्ट्रीय उद्यान, रिजर्व/प्रोटेक्टेड वन क्षेत्र में है) पर ईको /एडवेंचर पर्यटन की गतिविधि का संचालन वन विभाग के दिशा–निर्देशों के अनुरूप करेगा।

वन भूमि से पृथक शासकीय भूमियों पर ईको/ एडवेंचर पर्यटन की गतिविधियों के संचालन करने के लिए प्रक्रिया निम्नानुसार होगी–

12.1 पर्यटन विभाग ईको एडवेंचर पर्यटन से संबंधित गतिविधियां एवं उनका स्थान निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र होगा। किसी भी स्थल पर संचालित होने वाली गतिविधियों का निर्धारण स्थानीय निहित संभावनाओं (Potential)/आवश्यकता के अनुरूप किया जा सकेगा। इसमें कैम्पिंग, ट्रेकिंग, एंगलिंग, जलक्रीड़ा, एलिफेन्ट सफारी, सायकल सफारी, राइडिंग ट्रेल, फोटो सफारी, केनोईंग सफारी, व्हाइट वाटर राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग/ माउण्टेनीयरिंग, पैरा–सैलिंग/ पैरा ग्लाइंडिंग, हॉट एयर बलूनिंग आदि गतिविधियां शामिल की जा सकेगी।

12.2 ईको/साहसिक पर्यटन में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए पर्यटन विभाग प्रस्ताव आमंत्रित कर सकेगा। प्रस्ताव आमंत्रण के बाद किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन दिये जाने पर निम्न बिन्दुओं का परीक्षण किया जाएगा–

12.2.1 आवेदक द्वारा प्रस्तावित गतिविधि।

12.2.2 उक्त गतिविधि के लिए शासकीय भूमि की आवश्यकता।

12.2.3 चाही गई भूमि का स्वामित्व किस विभाग का है, उसकी नोईयत, उस पर अतिक्रमण की स्थिति आदि।

12.2.4 प्रस्तावित गतिविधियों के संचालन के लिए भूमि की आवश्यकता की अवधि।

12.2.5 अगर उक्त भूमि पर संबंधित व्यक्ति द्वारा निर्माण की आवश्यकता है तो पूंजी निवेश की राशि।

12.2.6 उक्त निर्माण का स्वरूप स्थायी एवं व्यापक होने पर यह मानकर कि आवेदक को भूमि की दीर्घ समय के लिए आवश्यकता होगी, उसे इस नीति के अंतर्गत अनुमत विकास अनुबंध पर भूमि दी जा सकेगी।

12.2.7 यदि भूमि पर कोई व्यापक या स्थायी स्वरूप का निर्माण आवश्यक नहीं है तो ऐसी भूमि लायसेंस पर दी जा सकेगी।

12.2.8 सामान्यतः लायसेंस पर दिये जाने के पूर्व भूमि पर्यटन विभाग को हस्तांतरित की जावेगी, परन्तु जहां ऐसा संभव नहीं हो, वहां उस भूमि का स्वामित्व धारण करने वाले विभाग की सहमति (ऐसी शर्तों के साथ, जो वह विभाग निर्धारित करें) प्राप्त कर लायसेंस दिया जा सकेगा।

12.2.9 भूमि को लायसेंस पर दिये जाने के लिए लायसेंस की अवधि, शर्ते तथा फीस वित्त विभाग के ज्ञाप एफ–1/42/04–बी.एम.यू./2097 दिनांक 4/9/10 की कण्डिका 3.1 (अ) में उल्लेखित समिति द्वारा तय की जायेगी। लायसेंस की अवधि सामान्यतः 5 वर्ष से कम तथा 15 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

12.2.10 एक ही स्थान पर एक या एक से अधिक गतिविधियों के लिए विभिन्न आवेदकों को लायसेंस दिया जा सकेगा।

12.2.11 ईको/साहसिक पर्यटन गतिविधियों के लायसेंस जारी करने हेतु म0प्र0 पर्यटन विकास निगम को अधिकृत किया जाता है। निगम लायसेंस फीस की राशि प्रशासकीय व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त करेगा।

13 **ऊर्जा विभाग**

13.1 केप्टिव पॉवर प्लाण्ट स्थापित करने वाले हेरिटेज होटलों तथा अन्य पर्यटक परियोजनाऐं को विद्युत उपकर से शत–प्रतिशत छूट दी जाएगी।

13.2 **प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर निरन्तर 24x7 बिजली आपूर्ति सुनिश्चित किया जाना।**

प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किये जावेंगे उन्हें निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जावें।

14. फिल्म टूरिज्म़

फिल्म निर्माताओं को स्थानीय स्तर पर शूटिंग की अनुमति प्राप्त करने के लिए विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करने में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। पर्यटन विभाग इन निर्माताओं को शासकीय विभागों से विधि मान्य अनुमतियां प्राप्त करने के लिए आवश्यक समन्वय करेगा। यह सेवा सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर (On Best Effort Basis) संबंधित निर्माता/ कंपनी को दी जा सकती है। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाहियां करने के लिए पर्यटन विभाग को अधिकृत करने संबंधी आदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया जायेगा।

15. पर्यटन विकास परिषद (Tourism Development Council)

15.1 राज्य स्तर पर राज्य पर्यटन विकास परिषद स्थापित की जाएगी। यह परिषद माननीय मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के माननीय मंत्रीगण, अधिकारीगण तथा पर्यटन क्षेत्र के स्टेक होल्डर्स के नामांकन से गठित होगी। परिषद का गठन, उसकी कार्य पद्धति तथा सदस्यता निर्धारित करने की कार्यवाही पृथक से की जाएगी।

15.2 जिला पर्यटन विकास समिति (District Tourism Development Committee)– प्रदेश के कई हिस्सों में स्थानीय स्तर पर सांस्कृतिक एवं पर्यटन संबंधी कार्यक्रम आयोजित होते रहते है। ऐसे आयोजन में कुछ कलेक्टरों द्वारा स्थानीय स्तर पर समितियां पंजीकृत की गई है। इस प्रकार की पंजीकृत की गई समितियों में एकरूपता लाने के लिए पर्यटन विभाग को अधिकृत किया जाता है। ये समितियां स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप तथा स्थानीय प्रस्ताव पर गठित की जाएगी।

16. जल पर्यटन नीति

राज्य शासन ने ज्ञाप क्रमांक एफ 3–1/2010/तैंतीस, दिनांक 06/01/2010 द्वारा प्रदेश में विभिन्न बांधें पर जल पर्यटन विकास संबंधी की नीति निर्धारित की गई है। इस नीति के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी।

17. वायु सेवा

प्रदेश के विभिन्न शहरों में छोटे वायुयान की सेवा उपलब्ध कराने के लिए निजी ऑपरेटर्स को ऐसी सेवा संचालित करने की दशा में निश्चित संख्या में सीटें अण्डर–राईट की गारण्टी तथा ए.टी.एफ. पर वैट की प्रतिपूर्ति करने की नीति बनाई गई है। यह नीति मंत्रि परिषद के आदेश आयटम क्रमांक –16 दिनांक 18 अगस्त, 2010 के अनुसार पर्यटन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 10–9/2010/तैंतीस, दिनांक 03.09.2010 में प्रतिपादित है।

18. अन्तर्विभागीय समन्वय–

पर्यटन नीति–2012 संशोधित के अन्तर्गत वांछित सुविधाएं/रियायते/अनुज्ञप्तियां आदि देने के लिए संबंधित विभाग आवश्यक दिशा–निर्देश/अधिसूचनाएं जारी करेंगे। अगर किन्हीं प्रकरणों में संबंधित विभाग सुविधाएं/ रियायतें/ अनुज्ञप्तियां आदि प्रदान नहीं करें अथवा नीति के अंतर्गत निर्णय लेने के लिए अधिकृत किसी समिति में अन्तर्विभागीय मतभिन्नता हो तो ऐसे प्रकरणों को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित निम्न समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा–

1. प्रमुख सचिव, वित्त
2. प्रमुख सचिव, पर्यटन
3. प्रकरण से संबंधित विभागों के प्रभारी सचिव प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, राज्य पर्यटन विकास निगम इसके सदस्य सचिव होंगे।

यह समिति प्रचलित नीति के अनुरूप निर्णय ले सकेगी। यह निर्णय अन्तिम होगा तथा संबंधित विभाग द्वारा इसका अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाएगा।

19. संपोषणीय पर्यटन (Sustainable Tourism) को प्रोत्साहित करना।

पर्यटन स्थलों को विकास एवं प्रबंधन ऐसा होना चाहिए कि वहां पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, स्थानीय परम्पराएं, संस्कृति एवं उत्पादों का संरक्षण हो। इसके लिए पर्यटन विभाग विभिन्न क्षेत्रों में की जा रही विभिन्न गतिविधियों का गहन विश्लेषण कर ऐसी गतिविधियां को चिन्हित करेगा, जिनका संपोषणीय पर्यटन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा हो तथा उन्हें रेग्युलेट करने अथवा रोकने के उपाय भी करेगा। साथ ही जिन गतिविधियों का प्रभाव अनुकूल हो उन्हें प्रोत्साहित करने के सभी उपाय किए जाएंगे। समुदाय की सहभागिता तथा स्थानीय स्तर पर सूचना, संचार एवं शिक्षा (Information, Education & Communication) के विभिन्न कारकों का प्रभावी उपयोग किया जाएगा। इसमें राज्य शासन के विभिन्न विभागों की संयुक्त भागीदारी की आवश्यकता होगी जो राज्य स्तरीय पर्यटन विकास परिषद के माध्यम से की जा सकेगी।

20. नवयुवकों के लिए रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण–

पर्यटन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटेलिटी ट्रेनिंग (MPIHT) की स्थापना की गई है। इस संस्था के माध्यम से नवयुवकों को पर्यटन के विभिन्न क्षेत्र यथा – फ्रन्ट डेस्क, हाऊस कीपिंग, फूड एण्ड बेवरेज सर्विस में रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भारत शासन की CBSP (कैपिसिटी बिल्डिंग फार सर्विस प्रोवाइडर) के अतिरिक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के नवयुवकों के प्रशिक्षण के लिए राज्य शासन के संबंधित विभागों से समन्वय कर वित्तीय सहायता प्राप्त की जावेगी ताकि इन वर्गों के छात्र भी लाभान्वित हो सकें। मध्यप्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिलिटी ट्रेनिग (MPIHT) द्वारा सर्टिफिकेट तथा डिप्लोमा कोर्स संचालित किये जा सकेंगे, जिनमें उपयोग होने वाली प्रशिक्षण सामग्री तथा सर्टिफिकेशन राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालयों की सहभागिता से किया जाएगा ताकि प्रदत्त सर्टिफिकेट की गुणवत्ता तथा विश्वसनीयता बनी रहे। राज्य के होटल उद्योग से समन्वय कर एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता का आंकलन कर आवश्यक स्व–वित्तीय पाठयक्रम भी MPIHT के माध्यम से शुरू किये जा सकेंगे। भविष्य में प्रदेश में राज्य होटल प्रबंध संस्थान एवं फूड एण्ड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट खोले जा सकेगें।

21. विशेष पर्यटन क्षेत्र (Special Tourism Zone) की स्थापना

प्रदेश के अनेक ऐसे क्षेत्र है जिनमें पर्यटन की संभावनायें विद्यमान हैं परन्तु वहां पर पर्यटन विभाग अथवा निजी क्षेत्रों द्वारा पर्याप्त निवेश की पहल नहीं की गई है। ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों का चयन कर उन्हें विशेष पर्यटन क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जाना प्रस्तावित है। इन क्षेत्रों को चिन्हित करने तथा उनकी भौगोलिक सीमाओं का निर्धारण राज्य पर्यटन विकास परिषद द्वारा किया जाएगा। परिषद द्वारा घोषित विशेष पर्यटन क्षेत्र में पर्यटन विभाग अपने संसाधनों तथा अन्य

विभाग के समन्वय से अधोसंरचना का विकास कर सकेगा। जो पर्यटक परियोजनाएं स्थापित होगी उन्हें निम्न सुविधायें दी जायेगी–

21.1 भूमि के क्रय विक्रय के संव्यवहारों पर देय समस्त पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क से छूट रहेगी। यह छूट परियोजना प्रारंभ होने के बाद पर्यटन विभाग द्वारा प्रतिपूर्ति के रूप में दी जायेगी।

21.2 मनोरंजन एवं विलासिता कर से पूर्ण छूट दी जायेगी।

21.3 एफएल–2/3/क्लब लायसेंस में प्रचलित फीस में 75 प्रतिशत की छूट दी जायेगी तथा वे न्यूनतम गारंटी की शर्त से मुक्त रहेगे।

21.4 व्यपवर्तन प्रीमियम तथा शुल्क से छूट रहेगी।

21.5 विशेष पर्यटन क्षेत्रों में स्थापित पर्यटक परियोजनाओं में रूकने वाले पर्यटकों के परिवहन के लिए उपयोग में लाये जा रहे वाहनों को परिवहन करों से पांच वर्ष की अवधि तक शत–प्रतिशत छूट दी जाएगी। यह छूट अधिकतम तीन वाहनों (जिसमें से दो वाहन 5 यात्री क्षमता एवं एक वाहन 12 यात्री क्षमता का होगा) के लिए दी जायेगी।

21.6 उपरोक्त बिन्दु क्रमशः 21.2, 21.3, में दी गई छूट परियोजना संचालन से 10 वर्ष की अवधि के लिए दी जाएगी।

22. इस नीति के अंतर्गत किसी भी प्रयोजन के लिए आवेदन पत्र म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम में इस हेतु स्थापित किये जाने एकल खिड़की (Single Window) में प्रस्तुत किये जायेगे। निगम संबंधित विभागों से समन्वय कर आवेदनो का निराकरण एक माह की अवधि में करेगा।

23. इस नीति में उल्लेखित नई पर्यटन परियोजनाओं से अभिप्रेत है ''ऐसी परियोजना जिसका निर्माण अथवा संचालन पर्यटन नीति 2010 के जारी होने के दिनांक के बाद प्रारम्भ हुआ हो''।

उक्त पर्यटन नीति 2012, मंत्रि परिषद, दिनांक 03 सितम्बर, 2012 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में जारी की जा रही है।